सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री देवाशीष नंदी, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 11/2017 दिनांक 13.12.2017

O/o CE (EITC)
Receipt No. 4384
Date 23 JAN 2018
DGM (IT) / SE (O)
EE ....
Section ....

श्री रामअवतार यादव
एम.बी.–34, पदुम नगर
भिलाई–3, तहसील–पाटन
जिला–दुर्ग (छ.ग.)
पिन – 490021

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 15.01.2018 को पारित)

अपीलार्थी श्री रामअवतार यादव की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 11/2017 दिनांक 13.12.2017 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रामअवतार यादव ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी:–

(अ) एस्कार्ट हार्ट सेन्टर, रायपुर से वर्तमान में अनुबंध की सत्यापित प्रतिलिपि।

(ब) तत्पश्चात् जारी आदेश क्र. 01–03/एमईडी/1316 दिनांक 25.05.2016 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करना अनुबंधित अस्पतालों के लिये अनिवार्य है अथवा नहीं ? यदि है तो, उक्त आदेश जारी होने की तिथि से **Stant** की पुनरीक्षित मूल्य को लागू करना संबंधित अस्पतालों के लिये अनिवार्य है अथवा नहीं ?

(स) यदि अधिसूचित अस्पतालों के द्वारा आदेश क्र. 1316 दिनांक 25.05.16 में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित अस्पताल पर कंपनी पर कंपनी प्रबंधन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है।

(द) वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, भिलाई–3, के पत्रांक व.रि.चि.अ./चि.प्रति./197 दिनांक 13.06.17 के आधार पर आपके द्वारा एस्कार्ट हार्ट सेन्टर, रायपुर के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी/दस्तावेज से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील आवेदन इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि समस्त जानकारी एवं दस्तावेज उन्हें निःशुल्क प्रदान की जावे।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –11/2017/02 दिनांक 08.01.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 11.01.2018** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री यादव को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया, साथ ही अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से भी सुनवाई तिथि/समय के तारतम्य में सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी तथा सहायक जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के प्राधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी उपस्थित हुए, तत्पश्चात् प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) सुनवाई के दौरान प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 1989 दिनांक 10.10.2017 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 251 दिनांक 24.10.2017 के माध्यम से कुल 20 छायापृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई। तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2092 दिनांक 27.10.2017 के माध्यम से आवेदक को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत रूपये 2/– प्रतिपृष्ठ की दर से 20 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 40/– मात्र का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत् निर्धारित समयावधि के भीतर सूचित किया गया।

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान भारतीय पोस्टल ऑर्डर के द्वारा किये जाने के उपरांत उन्हें कुल 20 छायापृष्ठों की जानकारी पत्र क्रमांक 2219 दिनांक 14.11.2017 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

(5) निर्धारित तिथि को दोनो उभयपक्ष उपस्थित हुए। जैसा कि अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। प्राकृतिक न्याय का प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्धांत है कि किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का मुख्य तर्क कि कंडिका 02/टीप में वांछित बिन्दु क्रमांक (अ) की जानकारी/दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नही करायी गई है, तथा (ब) एवं (स) की जानकारी आधी–अधूरी उपलब्ध करायी गई है। अतएव अपीलार्थी के शंका का समाधान नहीं किया गया है।

(iii) इसी अनुक्रम में अपीलार्थी का यह भी कथन कि उनके आवेदन दिनांक 08.09.2017 को विनिर्दिष्ट समय–सीमा में न तो पंजीयन की गई है, न ही कोई पंजीयन क्रमांक दर्ज है, इस कारण यह माना जा सकता है कि आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

(iv) उपरोक्त कंडिका 5(ii) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रभाग के प्राधिकारी यथा मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंपनी प्रबंधन द्वारा अस्पतालों से किसी प्रकार का अनुबंध नहीं किया जाता है वरन् मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों द्वारा पावर कंपनी के कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. मूल्य पर विशिष्ट चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु दिये गये अभ्यावेदनों पर विचार कर इन अस्पतालों को 01 वर्ष के लिये सूचीबद्ध (Empanelment) किया जाता है, अतएव अनुबंध की प्रति दिया जाना संभव नहीं है। जहां तक आदेश क्रमांक 01–03/एमईडी/1316 दिनांक 25.05.2016 में उल्लेखित प्रावधानों का अधिसूचित चिकित्सालयों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है, जो वर्तमान में भी प्रभावी है। अधिसूचित चिकित्सालयों द्वारा उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति यथा C.G.H.S. rate से अधिक राशि लेने की स्थिति में संबंधित अस्पताल को पत्र लिखकर अधिक राशि मरीज को वापस कराया जाता है। अपीलार्थी चाहें तो उक्त आदेश जो 20 छायापृष्ठों में उपलब्ध है का अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें समस्त नियम एवं शर्तें समाहित हैं। जिसकी प्रति माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक का आवेदन दिनांक 06.10.2017 में वांछित बिंदु क्रमांक (ब) एवं (स) की जानकारी प्रश्न उत्तर के रूप में है, अतएव अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत **प्रश्नवाचक** जानकारी दिया जाना बाध्यकारी नहीं है। अपितु आवेदक को उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में यथासंभव जानकारी से अवगत करायी गयी है।

(v) कंडिका 5(iii) के तारतम्य में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी ने यह प्रतिपादित किया कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत धारा 6 की उपधारा (1) के तहत् आवेदन पंजीयन शुल्क हेतु प्रस्तुत भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जो **लोक प्राधिकारी के लेखाधिकारी** के नाम से देय नही होने के कारण उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाना संभव नहीं था। अतएव आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1853 दिनांक 19.09.2017 के माध्यम से उनका आवेदन उन्हें मूलतः वापस किया गया है, अतः आवेदक का कथन कि उनके आवेदन को विनिर्दिष्ट समय–सीमा में न तो पंजीयन की गई है, न ही कोई पंजीयन क्रमांक दर्ज है, जो तर्कहीन है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में जो जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, वह उचित एवं कंडिका 5(iv)(v) में दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं। अतः प्रकरण में की गई कार्यवाही विधि संगत एवं न्याय संगत है, जो स्वीकार योग्य है। जहां तक आदेश क्रमांक 01–03/एमईडी/1316 दिनांक 25.05.2016 का प्रश्न है अपीलार्थी को उक्त आदेश की प्रति जो 20 छायापृष्ठों में हैं, निःशुल्क उपलब्ध करायी जा सकती है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। अतः प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त कंडिका 06 के दृष्टिगत 20 छायापृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी श्री रामअवतार यादव को निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 11/2017 दिनांक 13.12.2017) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(श्री देवाशीष नंदी)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –11/2017/ 03 रायपुर, दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री रामअवतार यादव, एम.बी.–34, पदुम नगर, रायकाबाड़ी के पास, भिलाई–3, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग, (छ.ग.), पिन – 490021 को सूचनार्थ प्रेषित – 20 छायापृष्ठों की जानकारी संलग्नित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक,
रायपुर, पिन–492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(श्री देवाशीष नंदी)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700